 भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 716

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**2019 के लोक सभा चुनावों के लिए वोटिंग मशीनों की आवश्यकता**

**716. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

**श्रीमती अम्बिका सोनी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2019 के लोक सभा चुनावों के लिए आवश्यक ईवीएम और वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या ईवीएम की डिज़ाइन में आवश्यक सुधार लाए गए, ताकि वह त्रुटि रहित हो और उससे छेड़छाड़ न की जा सके ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आगामी लोक सभा आम चुनावों के लिए कब तक सभी मशीनों को ठीक कर लिया जाएगा, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** भारतीय निर्वाचन आयोग (ई सी आई) ने सूचित किया है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के संचालन के लिए कुल 13,25,200 नियंत्रण यूनिट, 18,12,600 बैलेट यूनिट और 14,31,000 वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) यूनिट की आवश्यकता होगी।

**(ख) और (ग) :** भारतीय निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) प्रशासनिक मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार बिल्कुल छेड़छाड़रोधी हैं जिसके तहत इन मशीनों को संग्रहीत और उपयोग किया जाता है। , अगली पीढ़ी की 'ऍम3' मशीनों को 2013 से तैयार की गई है, के साथ इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में 2001 से आवधिक रूप से कई प्रौद्योगिकी परिवर्तन किए गए हैं । इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में नवीनतम स्वरूप वीवीपीएटी इकाई है जिसे ईवीएम आधारित मतदान प्रणाली में पारदर्शिता के एक अतिरिक्त उपाय के रूप में वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया गया था।

(**घ**) **:** आयोग ने कथन किया है कि आगामी लोकसभा साधारण निर्वाचन के लिए सभी मशीनें रखी जाएगीं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*